वाणिज्य/ जोधपुर डिस्कॉम – 83

# जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लि0

*(राजस्थान सरकार का उपक्रम)*

अप्रनि/ जोधपुर डिस्कॉम/अनु. वाणिज्य/ पत्रा /प्रे. सं 1649 जोधपुर 4/12/2001
दिनांक

## आदेश

विषय : ***कृषि एवं घरेलु विद्युत् उपभोक्ताओं के विवादित बिलों के निराकरण के लिये स्थापित विभिन्न समझौता समितियों का विस्तार ।***

वर्तमान में जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विभिन्न उपभोक्ताओं सम्बन्धी विवाद जिसमें विद्युत् बिलों से सम्बन्धित विवाद भी सम्मिलित है , के निष्पादन के लिये विभिन्न स्तरों पर समझौता समितियां गठित है।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषि एवं घरेलु उपभोक्ताओं के बिलों सम्बन्धी विवादों के निराकरण के लिये पूर्व गठित उपभोक्ता समितियों को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता स्तर तक की निम्नलिखित समितियों का विस्तार करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक–एक प्रतिनिधि सदस्य रूप में सम्मिलित किया जाता है।

(अ) सहायक अभियन्ता स्तरीय समिति :– सहायक अभियन्ता क्षेत्र का कोई तहसीलदार
(ब) अधिशाषी अभियन्ता स्तरीय समिति– अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र का कोई उपखण्ड अधिकारी
स) अधीक्षण अभियन्ता स्तरीय समिति :– अधीक्षण अभियन्ता क्षेत्र का अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पूर्व गठित समझौता समितियॉं यथावत कार्यरत रहेगी।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. जोधपुर